भोपाल में अनुसंधान केन्द्र

3306. **श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भोपाल में एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है तथा भोपाल जिले की तहसील हुजुर में एक भूखण्ड का अधिग्रहण किया गया है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इससे पहले तहसील हुजुर में ही स्थित सरकारी "फन्दा फार्म" को इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त समझा गया था किन्तु उक्त केन्द्र वहां स्थापित नहीं किया गया ;

(ग) क्या उपार्जित भूमि के लिए किसानों को वर्तमान बाजार भाव पर मुआवजा दिया जा रहा है ; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ; और

(घ) क्या सरकार अपने निर्णय की समीक्षा करके "फन्दा फार्म" को अधिग्रहण करने वाले मूल प्रस्ताव को मानने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सो० लेंका): (क) जी, हां । मध्य प्रदेश सरकार ने 25 हैक्टर का एक प्लाट अधिगृहीत किया है और उसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सौंप दिया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार ने नियमानुसार इसका मुआवजा दे दिया है ।

(घ) जी, नहीं ।

फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन

3307. **श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्य सरकारें केन्द्रीय सहायता से फसल बीमा योजना को कार्यान्वित कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या-क्या है जिन्होंने अभी भी फसल बीमा योजना को कार्यान्वित नहीं किया है ; और

(ग) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों ने थ्रेशहोल्ड ईल्ड के निर्धारण के लिए विभिन्न मानक निर्धारित किए हैं तथा क्षतिपूर्ति हेतु उनकी प्रशासकीय इकाइयां भिन्न-भिन्न हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन) : (क) जी, हां ।

(ख) जिन राज्यों ने वृहत फसल बीमा योजना नहीं अपनायी है, उनके नाम इस प्रकार हैं :—अरूणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, नागालैण्ड तथा सिक्किम । ये राज्य योजना के आरंभ से ही किसी भी मौसम के दौरान इस योजना में सम्मिलित नहीं हुए हैं ।

(ग) वृहत फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिये "थ्रेशहोल्ड" पैदावार निर्धारित करने के समान मानदण्ड है । वृहत फसल बीमा योजना में यह प्रावधान है कि बीमित फसल हेतु "थ्रेशहोल्ड" पैदावार इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों के दौरान उस फसल हेतु वास्तविक औसत पैदावार का "मूविंग" औसत होगा ।

तथापि, विभिन्न राज्यों में प्रतिपूर्ति दावों की अदायगी की गणना हेतु प्रशासनिक इकाईयां अलग-अलग होती हैं तथा ये पिछले पांच वर्षों हेतु पैदावार के आंकड़ों की उपलब्धता तथा साथ ही साथ बीमित फसल हेतु उस क्षेत्र में 16 फसल कटाई परीक्षण आयोजित करने की क्षमता पर निर्भर करते हैं ।